

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 50/2018

RCMS Sacc No. 2018/00340

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 लालुराम पुत्र बीजाराम	1 श्रीमती मानीदेवी पत्नी घेरवरराम	
2 रेवतराम पुत्र बीजाराम जातिगण देवासी निवासीगण आसन जोधवन तहसील मारवाड़ जंक्शन	2 झमकुदेवी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत चौकडिया	
	3 सरपंच ग्राम पंचायत चौकडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन	

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
उपस्थित :-

1. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक 28.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चौकडिया द्वारा मिसल संख्या 05/2002 में पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.08.2003 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1367 दिनांक 07.08.2003 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत चौकडिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पंचायत में जो मिसल कायम की गई है, उस मिसल में अंकित समस्त आदेशिकाएं विधि विरुद्ध रूप से अंकित की हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु भूमि का विवरण दर्ज कर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार शुल्क लेकर मिसल कायम कर मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति बनाकर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट व नक्शा बनाकर आपत्ति मांगने का नोटिस जारी कर नोटिस की एक प्रति उस भूमि के सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाना आज्ञापक है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, वह कब जारी हुआ, किन व्यक्तियों के समक्ष किस स्थान पर कब चर्चा किया गया, कहीं भी


जिला कलक्टर, पाली



अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु किन पंचों को नियुक्त किया गया, कहीं भी अंकित नहीं है। निरीक्षण प्रपत्र में मिसल संख्या, प्रार्थी का नाम, स्थान का नाम, तारीख आदि अंकित नहीं है तथा मौका निरीक्षण प्रपत्र व नक्शा पर निरीक्षण करने वाले पंचों के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। इसके अतिरिक्त मात्र खानापूर्ति करते हुए बयान कलमबद्ध किए गए हैं, जो विधि विरुद्ध है। बयानकर्ताओं के नाम, वल्लियत आदि अपूर्ण हैं, मात्र दो व्यक्तियों के नाम भर कर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत पुराने निर्मित गृहों के विनियमितकरण के प्रावधान हैं। उक्त भूमि वर्ष 2001 में आबादी में परिवर्तित की गई है। आबादी घोषित होने के पश्चात ग्राम बासनी जोधवन के गरीब तबके के बी0पी0एल0 चयनित परिवारों को एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के वे व्यक्ति, जिनके रहवासीय मकान/भू-खण्ड नहीं है, उनको भूमि आवंटित कराने का उद्देश्य था, किन्तु आसन जोधवन में रेवतराम पुत्र बंदीराम देवासी ने तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए अपने राजनैतिक प्रभाव से अपने ही परिवार के व्यक्तियों के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी कराने का आदेश पारित करवाया, जो विधि विरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.05.2002 को मिसल कायम करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पंचायत के कोरम द्वारा दिनांक 20.06.2002 को तीन पंचों को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिसल मिसल करते हुए दिनांक 05.07.2002 को उसमें वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का 50-60 वर्षों पुराना कब्जा होना बताया तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.08.2002 में एक माह का आपत्ति इशतिहार जारी कराने का आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.09.2002 को दो स्वतन्त्र साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध किए गए। इसके पश्चात बैठक दिनांक 21.03.2003 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कराने का आदेश पारित किया।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रुपये की राशि जमा



करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/- रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/- रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यक्षीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो स्थिति यह उत्पन्न होती है कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चौकडिया द्वारा मिसल संख्या 05/2002 में पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.08.2003 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1367 दिनांक 07.08.2003 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावे।




(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली